फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी — **अप्रार्थीगण**

हरीराम — **बनाम** — **लालाराम वगैरह**

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र — मुकदमा नं. 33/ 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
29.04.2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अधीन धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम–लूणसरा तहसील जायल के वर्तमान खसरा नं. 189/1359, 89/1360 के रूप में स्थित है। खसरा नं. 189/1359 रकबा 2.1044 हैक्टैयर में से ने 0.8093 हैक्टयर भूमि (पश्चिमी भाग) जो कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से जो प्रार्थी का चाचा है, से बिना लिखा–पढ़ी के मौखिक इकरारनामें के जरिये रूपये 1,00,000 से खरीद किया है जिसपर गत 15 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त बिना रोक–टोक के रहा है।अप्रार्थी ने प्रार्थी (भतीजे) को भ्रम में रखते हुये खातेदारी की आड़ में जानबुझकर सम्पूर्ण रकबे की भूमि का बैचान भंवरीदेवी, देवकन्या, परमादेवी जो कि अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2021 को चुप–चाप कर दिया। जिसकी जानकारी तहसील कार्यालय से नकल रजिस्ट्री प्राप्त करने पर हुई। यदि अप्रार्थीगण उक्त विक्रय सुदा भूमि का अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण करने में सफल हो जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी तथा असुविधा भी होगी। अतः जब तक मुतदाविया खेतायों की भूमि का अन्तिम तौर निस्तारण न हो तक अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को विवादग्रस्त वर्तमान खसरा 189/1359 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का बनाये रखे जाने बाबत् जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी क स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त वर्तमान खसरा नं. 189/1359 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर (5बीघा) प्रार्थी की क्रय सुदा प्रतीत होती है, साथ ही प्रार्थी का अनुतोष केवल राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के संबंध में है।जमाबंदी के अवलोकन से उक्त खसरान की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है, इसलिए मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के आंशिक बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को मौजा लूणसरा तह. जायल के वर्तमान खसरा नं. 189/1359 रकबा 2.1044 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण जरिये सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक 01/06/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	
01/6/2021	[illegible]कार/पक्षकार [illegible] के अधिवक्ता कोरोना / लॉकडाउन [illegible] अधि[illegible] [illegible]विटिंग में/[illegible] [illegible] पा नये हुए हैं, इसलिए प्रकरण [illegible] दिनांक 15/6/2021 को [illegible]	
15/6/2021	पत्रावली पेश हुई। प्रा.पत्र हाजा के संबंधित वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रा.पत्र पोषणीय नहीं रहा है। अतः (हस्ताक्षर)	[illegible] Rajpal(?) DFO

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा-212 RT Act पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

अज् अदाल

वा

किस्म प्रकरण :

तारिख हुक्म	